...ंच इनीशियल्स जज

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.7.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पर्ई बटवारा अनुसार दावा आंशिक डिक्री किया जाता है अन्तिम निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश गुर्जर

दावा संख्या :– 21/2018

1. जगन्नाथ प्रसाद पिता कजोड ब्राम्हण निवासी उत्थेनकलां तह0 बेगूँ
2. जटाशंकर पिता कजौड ब्राम्हण निवासी उत्थेनकलां तह0 बेगूँ
3. शंभूलाल पिता कजोड ब्राम्हण निवासी धमंचा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. श्राधाकिशन पिता कजौड ब्राम्हण निवासी उत्थेनकलां तह0 बेगूँ
2. भैरूलाल पिता धपनराज ब्राम्हण निवासी उत्थेनकलां तह0 बेगूँ
3. भीमराज पिता धनराज ब्राम्हण निवासी उत्थेनकलां तह0 बेगूँ
4. शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता वादीगण

दिनांक :–25.07.2024

अंतिम डिक्री निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा उत्थेनकलां प0ह0 रायता में निम्न कृषि आराजीयात खातेदारी की वादीगण व प्रतिवादीगण की राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातदोरी के रूप में अंकित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

(अ) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
86	130	0.1460
	131	0.1860
	132	0.2030
	कीता–3 कुल रकबा	0.5350 हैक्टर

उपरोक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 का 1/6 हिस्सा प्रतिवदी सं0 3 का 1/6 हिस्सा निहित है।

(ब) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
122	133	0.9310
	327	0.2020
	329	0.1700
	330	0.2740
	331	0.3090
	332	0.3080
	407	0.2830
	408	0.1210
	कीता–8 कुल रकबा	2.5980 हैक्टर

जिसमें वादीगण का 3/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा निहित है।

(स) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
121	134	0.8740
	414	0.0570
	613/413	0.0890
	कीता–3 कुल रकबा	1.0200 हैक्टर

जिसमें वादीगण का 3/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा निहित है।

(द) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
85	390	0.3400
	391	0.3800
	392	0.3000
	कीता–3 कुल रकबा	1.0200 हैक्टर

उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या एक का हिस्सा 1/4 निहित है।

(य) खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
83	324	0.5430
	325	0.0400
	326	0.2590
	333	0.2670
	334	0.1940
	335	0.0080
	336	0.1940
	337	0.3560
	339	0.3640
	340	0.2830
	341	0.1380
	342	0.3970
	कीता–12 कुल रकबा	3.0430 हैक्टर

जिसमें वादीगण का 3/8 हिस्सा, प्रतवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा , प्रतवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हिस्सा निहत है।

यह वादीगण अपने निहित हक हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है, वादीगण एवं प्रतवादीगण के मौखिक आपसी विभाजन के कारण व मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण भूमि कम ज्यादा को लेकर व फसल घास आदि काटते समय वादीगण एवं प्रतिवादीग्गा के मध्य मन मुटाव होरक विवाद होता रहा है। दिनांक 05.01.2018 को वादीगण ने प्रतिवादीग्गा को आपसी सहमति से न्यायालय में चल कर अपने अपने निहित हक हिस्सा भूमि का खाता अलग अलग कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि निम्न अनुतोष की आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(क) कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित उपकलम अ,ब,स,द, य में वर्णितानुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात का मौके पर व राजस्व रेकार्ड में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का विभाजन किये जाने की घोंषणात्मक आज्ञप्ति वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।

(ब) कि बाद विभाजन वादीग्गा का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादीग्गा के पक्ष में प्रदान करायी जावें।

(स) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीग्गा हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

दावा न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण को दिनांक 07.06.2018 को ही लोक अदालत कैम्प रायता पर सुनवाई हेतु उपस्थित रहने बाबत सम्मन जारी किया गया, पत्रावली में बाबत विभाजन हेतु लोक अदालत कैम्प रायता पर रखवाई गई, तथा प्रकरण मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सुना जाकर रेकार्ड अनुसार व हिस्सा अनुसार विभाजन कराये जाने की स्वीकृति होने से वादीगण का वादपत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया गयाः–

" अतः वाद वादीगण का धारा 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा उत्थैनकलां प0ह0 रायता के आराजी नं0130, 131, 132 में वादीगण का 1/2 हक व प्रतिवादी सं0 1 का 1/6 हक , प्रतिवादी सं0 2 का 1/6 हक प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हक हिस्सा व आराजी नं. 133, 327, 329, 330, 331, 332, 407, 408, में वादीग्गा का 3/4 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 का 1/4 हक हिस्सा व आराजी नं. 134, 414, 613/413 में वादीगण 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्स व आराजी नं0 390, 391, 392, में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा तथा आराजी नं0 324,325, 326, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, में वादीगण का 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं0 3 का 1/4 हिस्सा अनुसार भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर व कब्जेनुसार भूमि विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/– कमिश्नर शुल्क कमिश्नर नियुक्त किया जाता है , मौके पर विभाजन करने हेतु लिखा जावें, दावा प्राथमिक डिक्री अलग से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की जावें"।

उपरोक्त निर्णय की पालना में प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री तैयार की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को भेजी गई, उक्त प्राथमिक निर्णय की पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक /भू.अ.प्रा.डि./2024/1924 दिनांक 05.06.2024 के साथ मौका फर्द बंटवारा, जमाबंदी नकल , पर्चामौका , नक्शाट्रेस व सूचना पत्र संलग्न होकर प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस निवेदन करते हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावत अनुसार ही वादीगण का वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाने एवं खाता पृथक पृथक कराने का निवेदन हमारे समक्ष किया गया जिससे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक हर्द बंटवारा रिपोर्ट स्वीकार किया जाता है तथा दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तथा मौका उत्थैनकलां पटा0 रायता की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नलिखितानुसार विभाजन किया जाकर खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1– जगन्नाथ प्रसाद पिता कजोड ब्राम्हण साकिन उत्थैनकलां

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
133 मे से	0.2740	1.18
134 मे से	0.2800	1.20
392 मे से	0.1300	0.31
331 मे से	0.0200	0.05
342	0.3970	1.71
334	0.1940	0.83
324 मे से	0.0700	0.17
324 मे से	0.0200	0.05
किता–8	1.385 है0	5.50

2– जटाशंकर पिता कजोड ब्राम्हण साकिन देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
131 मे से	0.1460	0.35
132 मे से	0.0400	0.17
133 मे से	0.2090	0.90
134 मे से	0.1600	0.69
392 मे से	0.0500	0.12
391 मे से	0.0800	0.19
331 मे से	0.0400	0.10
336 मे से	0.0500	0.21
337 मे से	0.2560	1.09
329	0.1700	0.73
330 मे से	0.1040	0.45
324 मे से	0.0400	0.10
324 मे से	0.0400	0.10
किता– 13	1.3850 है0	5.20

3– शम्भूलाल पिता कजोड ब्राम्हण सा0देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
132 मे से	0.1630	0.70
133 मे से	0.2240	0.96
134 मे से	0.1700	0.73
391 मे से	0.1300	0.31
331 मे से	0.1100	0.26
331 मे से	0.0200	0.05
324 मे से	0.0900	0.22
332	0.3080	1.32
330 मे से	0.1700	0.73
किता–9	1.3850 है0	5.28

4– राधाकिशन पिता कजोड ब्राम्हण सा0देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
130 मे से	0.1460	0.63
131 मे से	0.0400	0.10
133 मे से	0.2240	0.96
134 मे से	0.1500	0.65
392 मे से	0.1200	0.29
407	0.2830	9.65
408	0.1210	4.13

/13	0.0890	3.03
	0.2020	0.87
1 मे से	0.0100	0.02
किता–10	1.3850 है0	20.33

5– भैरूलाल , भीमराज पिता धनराज ब्राम्हण सा0 देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
339	0.3640	1.57
336	0.1440	0.62
326	0.2490	0.60
340	0.2830	0.68
341	0.1380	0.59
337 मे से	0.1000	0.43
324 मे से	0.1430	0.34
390	0.3400	0.82
391 मे से	0.1700	0.41
333	0.2670	1.15
331	0.0500	0.12
किता–11	2.2480 है0	7.33

6– जगन्नाथ प्रसाद जटाशंकर राधाकिशन शम्भूलाल पिता कजोड हि0ब0 सा.देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
134	0.0700	0.30 (रास्ता)
331	0.0590	0.13 (रास्ता)
414	0.0570	1.67
किता–3	0.1860 है0	2.10

7– जगन्नाथ प्रसाद जटाशंकर राधाकिशन शम्भूलाल पिता कजोड ब्राम्हण 1/2
भैरूलाल भीमराज पिता धनराज 1/2 ब्राम्हण सा.देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
325	0.0400	रास्ता
324	0.1400	0.34 देवस्थान
335	0.0080	– कुआ
326	0.0100	0.02 रास्ता
किता–4	0.1980 है0	0.36

8– जटाशंकर 5/13 राधाकिशन 8/13 पिता कजोड ब्राम्हण सा.देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
134	0.0240	0.10 कुआ
किता–1	0.0240 है0	0.10

9– जगन्नाथ प्रसाद शम्भूलाल ब्राम्हण पिता कजोड सा.देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
134	0.02	0.09 कुआ
किता–1	0.02 है0	0.09

उपरोक्तानुसार विभाजित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व खाते में पृथक पृथक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश गुर्जर

दावा संख्या :– 21/2018

4. जगन्नाथ प्रसाद पिता कजोड ब्राम्हण निवासी उत्थेनकलां तह0 बेगूँ
5. जटाशंकर पिता कजौड ब्राम्हण निवासी उत्थेनकलां तह0 बेगूँ
6. शंभूलाल पिता कजोड ब्राम्हण निवासी धमंचा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

6. श्राधाकिशन पिता कजौड ब्राम्हण निवासी उत्थैनकलां तह0 बेगूँ
7. भैरूलाल पिता धपनराज ब्राम्हण निवासी उत्थैनकलां तह0 बेगूँ
8. भीमराज पिता धनराज ब्राम्हण निवासी उत्थैनकलां तह0 बेगूँ
9. शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई
10. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त विल्लू की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ..... की अनुपस्थिती में वाद अ.धा.88– 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 25.07.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तथा मौका उत्थैनकलां प0ह0 रायता की आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नलिखितानुसार विभाजन किया जाकर खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1– जगन्नाथ प्रसाद पिता कजोड ब्राम्हण साकिन उत्थैनकलां

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
133 मे से	0.2740	1.18
134 मे से	0.2800	1.20
392 मे से	0.1300	0.31
331 मे से	0.0200	0.05
342	0.3970	1.71
334	0.1940	0.83
324 मे से	0.0700	0.17
324 मे से	0.0200	0.05
किता–8	1.385 है0	5.50

2– जटाशंकर पिता कजोड ब्राम्हण साकिन देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
131 मे से	0.1460	0.35
132 मे से	0.0400	0.17
133 मे से	0.2090	0.90
134 मे से	0.1600	0.69
392 मे से	0.0500	0.12
391 मे से	0.0800	0.19
331 मे से	0.0400	0.10
336 मे से	0.0500	0.21
337 मे से	0.2560	1.09
329	0.1700	0.73
330 मे से	0.1040	0.45
324 मे से	0.0400	0.10
324 मे से	0.0400	0.10

किता– 13	1.3850 है0	5.20

3– शम्भूलाल पिता कजोड ब्राम्हण सा0देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
132 मे से	0.1630	0.70
133 मे से	0.2240	0.96
134 मे से	0.1700	0.73
391 मे से	0.1300	0.31
331 मे से	0.1100	0.26
331 मे से	0.0200	0.05
324 मे से	0.0900	0.22
332	0.3080	1.32
330 मे से	0.1700	0.73
किता–9	1.3850 है0	5.28

4– राधाकिशन पिता कजोड ब्राम्हण सा0देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
130 मे से	0.1460	0.63
131 मे से	0.0400	0.10
133 मे से	0.2240	0.96
134 मे से	0.1500	0.65
392 मे से	0.1200	0.29
407	0.2830	9.65
408	0.1210	4.13
613/413	0.0890	3.03
327	0.2020	0.87
331 मे से	0.0100	0.02
किता–10	1.3850 है0	20.33

5– भैरूलाल , भीमराज पिता धनराज ब्राम्हण सा0 देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
339	0.3640	1.57
336	0.1440	0.62
326	0.2490	0.60
340	0.2830	0.68
341	0.1380	0.59
337 मे से	0.1000	0.43
324 मे से	0.1430	0.34
390	0.3400	0.82
391 मे से	0.1700	0.41
333	0.2670	1.15
331	0.0500	0.12
किता–11	2.2480 है0	7.33

...नाथ प्रसाद जटाशंकर राधाकिशन शम्भूलाल पिता कजोड हि0व0 सा.देह

...जी नम्बर	रकबा	लगान
...4	0.0700	0.30 (रास्ता)
331	0.0590	0.13 (रास्ता)
414	0.0570	1.67
किता–3	0.1860 है0	2.10

7– जगन्नाथ प्रसाद जटाशंकर राधाकिशन शम्भूलाल पिता कजोड ब्राम्हण 1/2
भैरूलाल भीमराज पिता धनराज 1/2 ब्राम्हण सा.देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
325	0.0400	रास्ता
324	0.1400	0.34 देवस्थान
335	0.0080	– कुआ
326	0.0100	0.02 रास्ता
किता–4	0.1980 है0	0.36

8– जटाशंकर 5/13 राधाकिशन 8/13 पिता कजोड ब्राम्हण सा.देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
134	0.0240	0.10 कुआ
किता–1	0.0240 है0	0.10

9– जगन्नाथ प्रसाद शम्भूलाल ब्राम्हण पिता कजोड सा.देह

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
134	0.02	0.09 कुआ
किता–1	0.02 है0	0.09

उपरोक्तानुसार विभाजित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व खाते में पृथक पृथक दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 25.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

दिनांक :–

क्रमांक/सरिश्ता/2024/
दावा संख्या 21/2018 व अनवान जगन्नाथ प्रसाद बनाम राधाकिशन वगै वाद अ.धा. 88–53 आर.टी. एक्ट में जारी अंतिम निर्णय की डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़